अजमेर
1/19/2019

किशनलाल बनाम गोपाल

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	2019/00021 श्री कुलवन्त सिंह श्री मदनपुरी गोस्वामी	

किशनलाल बनाम गोपाल वगैरह

28.01.19

पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियटकर्ता के ब्रीफ होल्डर उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र व अपील में बहस सुनी गई।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 31.12.2018 को प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रारम्भिक आपत्ति पर कोई आदेश पारित नहीं की हैं विचाराधीन रखा गया हैं। अपीलांट ने उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम तलबी नोटिस हेतु नियत हैं। उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर